राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

By E-mail / Hand / Speed Post/Fax

फा.सं. एनसीटीई–राज010/1/2022–ओ/ओ यूएस (रा.भा.)–मु. दिनांकः–08.06.2022

कार्यालय आदेश

विषयः राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना।

खेद का विषय है कि सदस्य सचिव द्वारा अनेक बार निर्देशित करने के बावजूद राजभाषा हिन्दी में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार हिन्दी में कार्य न होने के कारण दिनांक 27.05.2022 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किये गए निरीक्षण के समय परिषद् को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा।

3. हिन्दी पत्राचार व टिप्पण लेखन के मामले में भारत सरकार द्वारा 'क' व 'ख' क्षेत्रों में 100 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया। अतः इन लक्ष्यों को शीघ्र ही पूरा किया जाए। (प्रति संलग्न)

4. समस्त अनुभाग प्रभारियों तथा क्षेत्रीय समिति के निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यालयीन कार्य हिन्दी में ही किए जाएं।

5. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले समस्त कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जाएं।

6. अतः हिन्दी में कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुभाग प्रभारियों एवं क्षेत्रीय निदेशकों का होगा, इसलिए वे स्वयं हिन्दी में कार्य करना प्रारंभ करें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करें।

7. राजभाषा सम्बन्धी हर तिमाही प्रगति प्रतिवेदन को ध्यान से भरा जाए और अनुभाग प्रभारी व क्षेत्रीय निदेशक स्वयं यह सुनिश्चित करें कि प्रतिवेदन में भरी गयी सूचना व आंकड़े पूर्णतः सही और सटीक हैं अथवा नहीं। गलत सूचना देने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे और इसके लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। पूर्व में प्रेषित तिमाही प्रतिवेदनों की पुनः समीक्षा करें और अशुद्धियों/कमियों को दूर किया जाए।

8. आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजभाषा सम्बन्धी समस्त नियम, आदेशों का अनुपालन अन्य प्रशासनिक नियमों की तरह ही किए जाने होते हैं, अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

दिनेश प्रसाद

(प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी)
अध्यक्ष

प्रति :
समस्त क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
एवं समस्त अनुभाग प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्